



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर

(ए.डी.आर सेन्टर, सिविल लाईन्स, ग्राम न्यायालय के सामने)

(Phone : 0154-2944888, E-mail address : dlsa15ganganagar@gmail.com)

क्रमांक : PV/2026/01

दिनांक 30.07.2026

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 15539-582 दिनांक 29.11.2025 के अनुसार Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) के पैनल को Review, Reassess and Resize करने के लिए नवीन Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) के चयन हेतु आवेदन स्थानीय क्षेत्र श्रीगंगानगर जिला के निवासियों से आमंत्रित किये जाते हैं। ये Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा प्रदान किये गये निर्देशानुसार अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे।

शैक्षणिक योग्यता :- आवेदक का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा कला, वाणिज्य अथवा विज्ञान संकाय में अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

आवेदन पत्र :- इस हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

शारीरिक योग्यता :- आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :-

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र अथवा जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
3. राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।
5. जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
6. किसी भी पुलिस थाने अथवा न्यायालय में आपराधिक प्रकरण के पंजीकृत नहीं होने संबंधी स्वयंसत्यापित शपथ पत्र।

आवेदन की अंतिम तिथि :- Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) के रूप में पैनलित हेतु इच्छुक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित योग्यता रखता हो, अपने कार्यक्षेत्र का चयन करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र में अपना आवेदन अंतिम दिनांक 17.08.2026 को समय 5.00 पी.एम. तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, घड़साना, श्रीकरणपुर, सादूलशहर, पदमपुर, श्रीविजयनगर के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समयवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा यह अंकन करना होगा कि वह Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) के रूप में अपनी सेवा जिला स्तर पर या तालुका स्तर में से किस स्थान को प्राथमिकता देते हैं।

पात्रता :-

Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) निम्नांकित समूह में से चयन किये जायेंगे :-

1. सेवानिवृत्त अध्यापक/सेवानिवृत्त राजकीय सेवक/निजी सेवा अध्यापक
 2. वरिष्ठ नागरिक
 3. समाजशास्त्र में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के छात्र तथा शिक्षक
 4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/साथिन, महिला एवं बाल विकास विभाग
 5. स्वयंसेवक, नेहरू युवा केन्द्र/सामाजिक कार्यकर्ता/राजीविका कार्यकर्ता
 6. गैर राजनीतिक संस्था के सदस्य जो सेवा भावना से चलने वाले गैर सरकारी संस्था तथा क्लब के सदस्य
 7. अच्छा व्यवहार वाला लंबी राजायपता कैदी
 8. कोई अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) के रूप में कार्य के लिए उचित समझती है।
- नोट :-** यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पैनलित करने हेतु पात्र पीएलवी अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर

(ए.डी.आर सेन्टर, सिविल लाईन्स, ग्राम न्यायालय के सामने)

(Phone : 0154-2944888, E-mail address : dlsa15ganganagar@gmail.com)

श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र हेतु पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के पैनल का विवरण :- माननीय सलसा, जयपुर के निर्देशानुसार व Directives For Efficient and Manages Utilization of Para Legal Volunteers में दिये गये निर्देशानुसार जिला एवं तालुका स्तर पर निम्नानुसार पीएलवी को Empanelled किया जाना है :-

क्र.सं.	नाम कार्यालय जिला/तालुका मुख्यालय	रिक्त पदों की संख्या
01.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर	04
02.	तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीकरणपुर	01
03.	तालुका विधिक सेवा समिति, रायसिंहनगर	04
04.	तालुका विधिक सेवा समिति, अनूपगढ़	02
05.	तालुका विधिक सेवा समिति, घड़साना	04
06.	तालुका विधिक सेवा समिति, सूरतगढ़	03
07.	तालुका विधिक सेवा समिति, सादूलशहर	04
08.	तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीविजयनगर	03
09.	तालुका विधिक सेवा समिति, पदमपुर	04
कुल		29

पैरा लीगल वॉलियन्टर्स (अधिकार मित्र) के कर्तव्य :-

1. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), अपने गांव, मौहल्ले एवं आस-पास के नागरिकों को सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए, उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी देकर या शिक्षित कर जागरूक करेगा।
2. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), नागरिकों को विवादों/समस्याओं की प्रकृति के संबंध में जागरूक कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से अपने प्रकरणों/विवादों को निराकरण हेतु सम्पर्क करने हेतु प्रोत्साहित/जागरूक करेगा।
3. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति को, विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने में सहयोग देगा।
4. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), आम नागरिकों को राज्य प्राधिकरण/जिला प्राधिकरण/तालुका समिति/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी देगा। उक्त संस्थाओं के पत्र व्यवहार के पतों की जानकारी देगा तथा निःशुल्क विधिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारियों उपलब्ध कराते हुए जागरूक करेगा।
5. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), मुकदमा पूर्व विवादों को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा यह प्रचार-प्रसार करेगा कि मुकदमा पूर्व विवाद बिना किसी व्यय व समय खर्च किये, लोक अदालतों के माध्यम से निपटाये जा सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस भी देय नहीं है।
6. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), आम नागरिकों को जानकारी देकर जागरूक और प्रोत्साहित करेगा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को, लोक अदालत अथवा मध्यस्थता केन्द्र के माध्यम से, समझौता के आधार पर निपटा लिये जाने पर, उन प्रकरणों में पूर्व में जमा की गई कोर्ट फीस वापस पाने के हकदार है तथा लोक अदालत में निर्णित प्रकरणों की कोई अपील आदि नहीं होती है।
7. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), आम नागरिकों को जन-उपयोगी सेवाओं, जैसे-यातायात, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय, स्वच्छता संबंधी सेवा, अस्पताल या औषधालय या दीमा संबंधी सेवाओं से संबंधित विवादों को, स्थाई लोक अदालत के माध्यम से बिना न्यायालय शुल्क के निपटाया जा सकता है, के बारे में जागरूक करेगा।
8. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), विधिक सेवा योजनाओं से संबंधित तथा शासन द्वारा आम नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी देगा एवं वृहद प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार सामग्री का प्रदर्शन, प्रसिद्ध लोक स्थानों, गेलों में निर्देशित स्थान पर करेगा।
9. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा तथा अपने कार्यकलापों का मासिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
10. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र), अपने क्षेत्र में स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों के प्रभावी कार्य सम्पादन में सक्रिय सहयोग देगा।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर

(ए.डी.आर सेन्टर, सिविल लाईन्स, ग्राम न्यायालय के सामने)

(Phone : 0154-2944888, E-mail address : dlsa15ganganagar@gmail.com)

विशेष :-

1. Para Legal Volunteer (अधिकार मित्र) को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय-समय पर देय फिक्स मानदेय (ऑनरेरियम) के अलावा अन्य किसी प्रकार का वेतन, रेगुलेशन या मजदूरी नहीं दी जायेगी।
 2. चयनित Para Legal Volunteer को प्रतिमाह निर्देशित किये गये कार्यों के आधार पर माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय (750/-रुपये प्रतिदिन) के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जावेगा।
 3. साक्षात्कार हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
 4. आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (ए.डी.आर सेन्टर) श्रीगंगानगर व तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय समस्त श्रीगंगानगर से प्राप्त किये जा सकते हैं।
 5. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र इस कार्यालय के ई-मेल एड्रेस dlsa15ganganagar@gmail.com पर भी निर्धारित दिनांक 17.08.2026 को समय 5.00 पी.एम. तक भिजवाये जा सकते हैं।
 6. पैरा लीगल वॉलियन्टर (अधिकार मित्र) के साक्षात्कार हेतु पृथक से सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर के नोटिस बोर्ड पर चरपा की जावेगी।
 7. पीएलवी का कार्य स्वैच्छिक सेवा प्रदान करते हुए विधिक जागरूकता एवं विधिक सेवा करना तथा सामाजिक एवं विधिक जागृति में रूचि लेकर पात्र व्यक्तियों को राज्य/रालसा/नालसा की योजनाओं से लाभान्वित करना है।
 8. चयनित पीएलवी को सेवाकार्य माननीय रालसा, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार ही आवंटित किया जा सकेगा।
- नोट :- 1. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि Para Legal Volunteer एक प्रकार की विधिक जागरूकता के संबंध में स्वैच्छा सेवा है जिसमें केवल मात्र कार्य दिवस के हिसाब से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। पीएलवी का चयन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर के साथ कोई संविदात्मक सेवा नहीं मानी जावेगी। यह कोई राजकीय सेवा नहीं है।
2. अपूर्ण आवेदन पत्र/नियत तिथि व समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर बांछित दस्तावेजात सहित निर्धारित अवधि में जमा करवावें।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
श्रीगंगानगर

क्रमांक :- जिविसेप्रा/पीएलवी स्कीम/ 6770-6800

दिनांक 30.07.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, घड़साना, श्रीकरणपुर, श्रीविजयनगर, पदमपुर, सादूलशहर
3. श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर को नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु
5. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, श्रीगंगानगर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, घड़साना, श्रीकरणपुर, श्रीविजयनगर, पदमपुर, सादूलशहर को नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु
6. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर को नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु
7. क्षेत्रीय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, घड़साना, श्रीकरणपुर, श्रीविजयनगर, पदमपुर, सादूलशहर को नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।
8. नोटिस बोर्ड, समस्त न्यायालय, श्रीगंगानगर
9. नोटिस बोर्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
श्रीगंगानगर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर

(ए.डी.आर सेंटर, सिविल लाईन्स, ग्राम न्यायालय के सामने)

(Phone : 0154-2944888, E-mail address : dlsal5ganganagar@gmail.com)

पैरालीगल वॉलेन्टियर (अधिकार मित्र) के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. विवाहित/अविवाहित
4. लिंग (पुरुष/महिला)
5. संवर्ग (Gen./OBC/SC/ST)
6. जन्म तिथि
7. शैक्षणिक योग्यता
8. विशेष योग्यता
9. अनुभव (यदि हो).....
10. जहां आवेदक सेवाएं देने हेतु इच्छुक हो
(जिला स्तर/ताल्लुका स्तर)
11. स्थायी पता
.....
.....
12. वर्तमान पत्राचार का पता
.....
.....
13. मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई डी.....
14. यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए
.....
15. आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, एनजीओ या किसी अन्य विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें
16. यदि आवेदक पीएलवी के रूप में कार्य कर चुका है तो विवरण लिखें
.....
17. आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय अथवा पुलिस थानों में कोई फौजदारी प्रकरण विचाराधीन हो तो विवरण.....

पारापोर्ट साईज
फोटो स्वयं
हस्ताक्षरित

आवेदक के हस्ताक्षर

मैं, सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है। मैं किसी भी राजनैतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

(नोट :- आवेदक अपना आधार, शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं अंकतालिका, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज यदि हो तो संलग्न करें)